

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या... 275/B.F.L/6/11-12

दिनांक... 28/6/11

60 एकड़ - डिवीजन २२

सेवा में,

श्री/श्रीमती मुशफ़ी जाल अमरवात - फोरम
पुनः/पुत्री/पत्नी श्री कुमार मृगाल अमरवात - फोरम
निवास सि० राजका डेरा

29/137 राजा मण्डो जगह

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड हम. से. 42/138 स्थित हम. से. 42/138 में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े वालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ० प्र० विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या 275/B.F.L/6/11-12 तद दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं०..... दिनांक..... के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या..... 383 / BFL / 7 / 11-12

दिनांक..... 07/07/11

सेवा में,

श्री/श्रीमती

मुरारीलाल अग्रवाल व कृष्ण कुमार अग्रवाल

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

बाबूलाल अग्रवाल

निवास

रज्जा की नई इमारत

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड 01

स्थित

हलवाई की नई इमारत में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या..... तद दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0..... दिनांक..... के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

भवदीय
07/07/11
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
मुख्य विकास अधिकारी
कायदा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या.....392/BF 4/7/11-12

दिनांक.....7/7/11

सेवा में,

श्री/श्रीमती

मुरारी लाल अग्रवाल

डी० श्री

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

अरुण कुमार अग्रवाल

श्री बाबू लाल

निवास

राजा की मंडी अग्रवाल

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड

08 हजारी की बगीचा - अग्रवाल

स्थित

में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नोक्त अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार 30 प्रो विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.....तद् दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा चिये गये अनापति पत्र सं०.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

महोदय
07/07/11
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
राज्य

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या..... 394/BFL/17/1112 दिनांक..... 7/7/11

सेवा में,

श्री/श्रीमती

शुभरी लाल केशव लाल केशव

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

शुभरी लाल केशव

निवास

राजा श्री मंडी

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड

02

स्थित

हनुमान गढ़ी-मिर्जापुर आगरा में प्रस्तापित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निर्मांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार 30 प्रो विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.....तद् दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं०.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या..... 385) BFL/17/11/12

दिनांक..... 7/7/11

सेवा में,

श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवास

सुरारी लाल झाड़ा व वृष्णकुमार झाड़ा
फाड़लाल झाड़ा
श्रीमा वी नंदा झाड़ा

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड

स्थित

में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निम्नांकित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।

3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप मूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।

4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार 30 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।

6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.....तद् दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

भूखण्ड
7/7/11
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या.....396/BFL/7/11-12 दिनांक.....7/7/11

सेवा में,

श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवास

मुसरी लाल कुमाल व सुखकुमार कुमाल
काबुलाल कुमाल
राजा की गड्डी

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड

04

स्थित

हलवाई की बगीचा

में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निर्मांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े वालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.....तद् दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

भुवनेश्वर
07/07/11
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या..... 397/BFL/07/11/12 दिनांक..... 07/11/12

सेवा में,

श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवास

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड

स्थित

में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवम् इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.....तद् दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र, सं0.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या..... 388/BFL/11-12

दिनांक..... 21/11/11

सेवा में,

श्री/श्रीमती

श्री/श्रीमती सुरजी लाल अग्रवाल व सुषमा अग्रवाल

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

अशोक अग्रवाल

निवास

अग्रवाल भोंडी

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड

06

स्थित

हनुमान गढ़ी अग्रवाल

में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार 30 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.....तद् दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं०.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

भवदीय
07/12/11
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या..... 388/BFL/11-12

दिनांक..... 21/11/11

सेवा में,

श्री/श्रीमती

अरारी लाल अग्रवाल व कृष्णकुमार अग्रवाल

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

काबुलाल आदर

निवास

राजा जी मंडी

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड

स्थित

में प्रस्तावित

निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

संख्या.....तद् दिनांक

प्रतिलिपि-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित कराये।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

भवन विकास
07/07/11
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा